"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्रमांक ई 1-1/2010/1/2.—भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14015/05/2009-एआईएस (I)-बी, दिनांक 12-3-2010 के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की नियुक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा में किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा उन्हें, उनके नाम के सामने उल्लिखित पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

करता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में नियुक्ति दिनांक	भा.प्र.से. के संवर्गीय पद पर वर्तमान पदस्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री हेमंत कुमार पहारे	12-3-2010	उप सचिव, नगरीय विकास विभाग
2.	श्री दिलीप कुमार वासनीकर	12-3-2010	उप सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
3.	श्री अमृत कुमार खलखो	12-3-2010	उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ छत्तीसगढ़, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार.

2. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, भा.प्र.से. (2005) आयुक्त, नगर निगम, भिलाई की सेवाएं नगरीय प्रशासन विभाग से वापस लेते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बिलासपुर के पद पर पदस्थापना हेतु सौंपी जाती है.

3. श्री एस. प्रकाश, भा.प्र.से. (2005) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

4. सुश्री श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006) अपर कलेक्टर, दुर्ग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दुर्ग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

5. श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन व्ही., भा.प्र.से. (2006) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, धमतरी के पद पर पदस्थ किया जाता है.

6. श्री बासवाराजू एस., भा.प्र.से. (2007) अनुविभागीय अधिकारी, कटघोरा, जिला कोरबा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 4-01/2010/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर लाल झंवर, न्यायाधीश, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 22 फरवरी से 05 मार्च, 2010 तक (12 दिन) के पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 20 एवं 21 फरवरी 2010 तथा दिनांक 6 एवं 7 मार्च 2010 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. सोनी, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/12/2007/1/2.—श्री एलेक्स व्ही. एफ. पाल मेनन, भा.प्र.से., तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. को दिनांक 02-02-2010 से 15-02-2010 तक (14 दिवस) का लघुकृत अवकाश (कार्योत्तर) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मेनन आगामी आदेश तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बीजापुर, जिला बीजापुर, छ. ग. के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मेनन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मेनन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/6/2005/1/2.—श्री टी. राधाकृष्णन, भा.प्र.से., अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को दिनांक 08-04-2010 से 09-04-2010 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राधाकृष्णन आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़, राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री राधाकृष्णन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राधाकृष्णन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/7/2005/1/2.—श्रीमती अलरमेलमंगई डी., भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को दिनांक 12-04-2010 से 08-10-2010 तक (180 दिवस) का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल, 2010 तथा दिनांक 09 एवं 10 अक्टूबर, 2010 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलरमेलमंगई डी. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक ई-7/02/2010/1/2.—श्री टी. सी. महावर, भा.प्र.से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग को दिनांक 31-05-2010 से 05-06-2010 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 30-05-2010 एवं 06-06-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री महावर आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री महावर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री महावर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2010

क्रमांक-बी-1-1/2009/एक/4.—श्री निरंजन दास (रा.प्र.से., आर.आर.-89 वरिष्ठ प्रवर श्रेणी), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग को, तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक, संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 1-06/09/प.अधि.नि./चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार सरगुजा संभाग के लिए निम्नानुसार अधिमान्यता समिति गठित करता है :—

1. श्री गोपाल असावा, सम्पादक, अम्बिकावाणी (अम्बिकापुर से प्रकाशित), नमनाकला रोड, अम्बिकापुर.
2. श्री सुधीर पाण्डे, दैनिक नवभारत (बिलासपुर से प्रकाशित), जिला प्रतिनिधि, अम्बिकापुर.
3. श्री उत्तम कश्यप, दैनिक नवभारत, बिलासपुर, जिला प्रतिनिधि, जिला-कोरिया.
4. श्री कमलेश शर्मा, दै. अम्बिकावाणी, बैकुण्ठपुर जिला प्रतिनिधि, जिला-कोरिया.
5. मनोज जैन, जिला प्रतिनिधि, दैनिक अमृत संदेश, जिला जशपुर.
6. श्री अमर अमानुल्ला मलिक, दैनिक नवभारत, जिला प्रतिनिधि, जिला-जशपुर.

2. संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे. इस संभाग स्तरीय समिति के संयोजक संचालक जनसम्पर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक, जनसम्पर्क होंगे. इस समिति का कार्यकाल अधिसूचना जारी होने के दिनांक से दो वर्ष का होगा लेकिन आगामी समिति के गठन तक यह क्रियाशील रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभय कुमार मिश्रा, उप-सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 7-13/2010/12.—जिला एवं तहसील नारायणपुर, वन मंडल नारायणपुर के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज लौह अयस्क का जीएसआई द्वारा सर्वेक्षण कार्य कर लौह अयस्क की उपलब्धता प्रतिपादित की है परन्तु लौह अयस्क के वास्तविक भंडारों का आंकलन नहीं किया गया है. क्षेत्र में लौह अयस्क धारित चट्टानों की उपलब्धता तथा क्षेत्र की संवेदनशील "रिच बायो डायवर्सिटी" को दृष्टिगत रखते हुए व्यवस्थित

तथा वैज्ञानिक तौर पर विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य शासकीय एजेंसी के द्वारा संपन्न किया जाकर क्षेत्रों में लौह अयस्क के Proved Category के भंडार प्रमाणित किया जाना आवश्यक है.

2. अतएव राज्य शासन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 (1) तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तालिका के कालम 5 एवं 6 में दर्शित अक्षांश एवं देशांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की दिनांक के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु आरक्षित करता है.

क्र. (1)	वनमंडल एवं जिला (2)	रेंज/तहसील (3)	टोपोशीट नं. (4)	देशांश (5)	अक्षांश (6)
1.	नारायणपुर	मातला एवं पूर्व सोनपुर नारायणपुर	65E/1	81°00' 00" to 81°05' 30"	19°47' 00" to 19°55' 00"
2.	नारायणपुर	छोटेडोंगर, नारायणपुर (कोदोली, हिपकुला)	65E/3	81°12' 00" to 81°15' 00"	19°20' 00" to 19°28' 00"
3.	नारायणपुर	छोटेडोंगर, नारायणपुर	65E/7	81°15' 00" to 81°23' 00"	19°20' 00" to 19°28' 00"
4.	नारायणपुर	बारसूर, नारायणपुर	65E/7	81°25' 00" to 81°28' 30"	19°15' 00" to 19°20' 00"
5.	नारायणपुर	बेनूर धौधई नारायणपुर	65E/6	81°15' 00" to 81°22' 30"	19°30' 00" to 19°36' 00"
6.	नारायणपुर	बेनूर धौधई नारायणपुर	65E/6	A 81°22' 30" B 81°26' 00" C 81°26' 00" D 81°28' 00" E 81°28' 00" F 81°22' 30"	19°36' 00" 19°36' 00" 19°33' 00" 19°33' 00" 19°30' 00" 19°30' 00"
7.	नारायणपुर	ओरछा नारायणपुर	65A/15	80°52' 00" to 81°00' 00"	19°25' 00" to 19°30' 00"
8.	नारायणपुर	ओरछा नारायणपुर	65A/15	80°50' 30" to 80°58' 30"	19°20' 00" to 19°25' 00"

3. उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 05 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. अधिसूचना प्रकाशित होने पर खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचना प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

रायपुर, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक एफ 7-16/2007/12.—मातला रिजर्व फारेस्ट में स्थित "रावघाट डिपाजिट्स" में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा फील्ड सीजन 71-72 से फील्ड सीजन 78-79 के बीच "रीजनल एक्सप्लोरेशन" कार्य किया जाकर खनिज लौह अयस्क के भण्डार (डिपाजिट "ए" से "ई") चिन्हांकित किए गए, परन्तु उक्त लौह अयस्क के भण्डारों पर विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य नहीं हुआ है. रावघाट डिपाजिट "ए" से "ई" तक के क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडारों की विशालता तथा वन क्षेत्र की संवेदनशील "रिच बायोडायवर्सिटी" को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में खनिज विकास के हित में "व्यवस्थित" तथा "वैज्ञानिक" तौर पर विस्तृत पूर्वेक्षण कार्य शासकीय एजेंसी द्वारा कराया जाना आवश्यक है.

2. राज्य शासन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 75 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य के उत्तर बस्तर, कांकेर जिले के वन मण्डल भानुप्रतापपुर (ईस्ट), वन परिक्षेत्र अन्तागढ़ तथा बस्तर जिले के नारायणपुर वन मंडल/वन परिक्षेत्र नारायणपुर स्थित रावघाट डिपाजिट "ए" से "ई" तक के जीएसआई द्वारा चिन्हित निक्षेप तथा उनके साथ लगे नीचे विवरण में अंकित क्षेत्र जिसका कुल क्षेत्रफल 63.50 वर्ग कि.मी. है को संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के माध्यम से खनिज लौह अयस्क एवं सहयोगी खनिजों हेतु पूर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु खनिज साधन विभाग द्वारा अधिसूचना का प्रकाशन तीन वर्षों के लिये छत्तीसगढ़ राजपत्र में दिनांक 17-04-2007 को किया गया है.

क्र.	बिन्दु.	देशांश	अक्षांश
1	A	81°05' 30"	19°55' 00"
2	B	81°07' 10"	19°55' 00"
3	C	81°07' 10"	19°49' 07"
4	D	81°09' 28"	19°51' 02"
5	E	81°10' 20"	19°49' 53"
6	F	81°08' 02"	19°47' 06"
7	G	81°05' 30"	19°47' 06"

4. इस क्षेत्र में वन विभाग से अनुमति विलंब से प्राप्त होने एवं क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों के कारण लौह अयस्क के समुचित आंकलन हेतु संचालनालय द्वारा अधिसूचना की नियत अवधि में पूर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा सका है.

5. अतएव राज्य शासन के द्वारा खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्न तालिका में दर्शित क्षेत्र को संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा या उसके माध्यम से खनिज लौह अयस्क एवं अन्य खनिजों के पूर्वेक्षण कार्य किये जाने हेतु आरक्षित किया जाता है.

S. No.	Name of District	Name of Mineral	Name of Area	Coordinate	Toposheet No.
1	North Bastar/ Narayanpur	Iron ore	Rawghat	A 19°55' 00" : 81°05' 30" B 19°55' 00" : 81°07' 10" C 19°49' 07" : 81°07' 10" D 19°49' 50" : 81°08' 02" E 19°47' 06" : 81°08' 02" F 19°47' 06" : 81°05' 30"	65 E/1

6. उक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से 03 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. अधिसूचना प्रकाशित होने पर खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 के प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचना प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जा सकेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 12 फरवरी 2010.

रा. प्र. क्र. 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	लखनपुर	गुमगराकला	0.368	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, अम्बिकापुर.	गुमगरा-कटकोना मार्ग पर चंदनई सेतु पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 6 अप्रैल 2010

भू-अर्जन प्र.क्र. 14/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	रींवाबहार	5.63	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	चिताखोल जलाशय योजना के तहत नहर क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 7 अप्रैल 2010

क्रमांक क/भू-अर्जन/1/अ-82/09-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बड़े अलनार	0.824	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन संभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत माइनर नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी., जल संसाधन संभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

क्रमांक 03/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	सरकंडा	0.140	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	अशोकनगर से आशाबंद मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2010

क्रमांक 01/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	मर्राकोना	0.83	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	भेरवा जलाशय पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 28 मार्च 2010

क्रमांक 02/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पथरिया	हथकेरा	0.35	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	हथकेरा एनीकट पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 03 मार्च 2010

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 7 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-उदयपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मोहनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.459 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
312	0.667
53	0.148
4	0.324
66/1	0.020
49	0.004
69	0.012
313	0.012
64/1	0.016
48	0.152
68	0.068
50	0.016
66/3	0.020
योग	1.459

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मोहनपुर-उपका पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक/2651/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अं. चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-करमतरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
724/2	0.405
योग	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करमतरा साल्हे-जलहल मार्ग पर साल्हेजलहल नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 अप्रैल 2010

क्रमांक/2652/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-सांगली, प. ह. नं. 09

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.385 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	837/1-2	0.385
योग		0.385

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सांगली हितागुटा मार्ग कि. मी. 3/8 पर शिवनाथ नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक/2699/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-छुरिया

(ग) नगर/ग्राम-पदगुड़ा, प. ह. नं. 58

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.664 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	387/5	0.126
	516/3	0.016
	613/2	0.128
	403/3	0.121
	601/9	0.194
	378	0.020
	324/1	0.004
	317/1	0.008
	389	0.047
योग	9	0.664

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज के मुख्य नहर निर्माण हेतु (अनुपूरक प्रकरण).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी (रा.), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 9 अप्रैल 2010

क्रमांक/2700/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-राजनांदगांव

(ख) तहसील-अं. चौकी

(ग) नगर/ग्राम-बिहरीकला, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.699 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
400/2	0.085
362/4	0.024
362/9	0.020
367/1	0.045
364	0.024

(1)	(2)
363	0.040
365	0.045
362/8	0.057
362/10	0.004
373/3	0.020
374/3	0.040
375	0.036
376	0.036
377	0.036
378	0.093
379	0.045
380	0.049
योग 17	0.699

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम बिहरीकला से बागनारा सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 मार्च 2010

प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-बिल्हा
- (ग) नगर/ग्राम-सिलपहरी, प. ह. नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.90 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
36/1	0.05
36/2	0.81
37	0.45
69/1	0.11
38	0.45
70/2	0.30
70/3	0.93
88	0.16
89	0.76
85	0.20
378/1	0.10
378/2	0.78
86	0.38
357	0.05
362	0.52
365	0.35
373	0.17
87	0.10
90/1	0.07
380/1	1.48
380/8	0.72
91/2	0.40
379	0.71
364/1	0.39
364/3	0.12
372	0.45
367	0.09
370/2	0.10
371	0.15
374/1	0.27
374/2	0.15
374/3	0.07
381	0.65
387	0.10
388/1	0.38
375	0.93
योग 36	13.90

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेन्ड्रीडीह से दर्रीघाट बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2010

क्रमांक 54/दो-2-3/2005.—श्री सी. एल. पटेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अम्बिकापुर) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 16-03-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/ छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.